



# श्रम और कार्य परस्थितियाँ

प्रस्तावति पर्यावरणीय और सामाजिक मानक 2\*



## प्रस्तावति ईएसएस 2 कसि बारे में है?

एडीबी परियोजना को कार्यान्वित करने में लगे परियोजना कार्यकर्ताओं की गुणवत्तापूर्ण परियोजना परिणाम प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए, नियोक्ताओं और परियोजना श्रमिकों के बीच मजबूत और स्वस्थ रोजगार संबंध होना आवश्यक है। प्रस्तावति ईएसएस2 एडीबी सामाजिक सुरक्षा कार्यनीति(2001) और सुरक्षा नीति विवरण(2009) की नषिद्धि नविश गतविधियों की सूची में बताए गए मुख्य श्रम मानकों (सीएलएस) के प्रतविरतमान प्रतबिद्धता को समेकित और अद्यतन करता है और जैसा कि कानूनी में ऋण अनुबंधों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। समझौते और मुख्य श्रम मानक पुस्तिका (2006)। प्रस्तावति मानक में सभी प्रकार के परियोजना श्रमिकों के लिए श्रम और कामकाजी परस्थितियों की अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं।

\* ईएसएस2 का पूरा पाठ सुरक्षा नीति समीक्षा: मसौदा नीति। एशियाई विकास बैंक (adb.org). <https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy> पर है। यह सूचना विवरणिका प्रस्तावति पर्यावरण और सामाजिक रूपरेखा (ईएसएफ) संबंधी परामर्श मसौदे के आधार पर केवल सूचनार्थ तैयार की गई थी। Q4 2023 में निर्धारित वरकगि पेपर के हिससे के रूप में प्रस्तावति पर्यावरणीय और सामाजिक रूपरेखा (ईएसएफ) के पूरण पाठ पर एडीबी नदिशक मंडल से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। अंतिम ईएसएफ पर 2024 में एडीबी नदिशक मंडल द्वारा अनुमोदन के लिए वचिर किया जाएगा।



**SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE**

**ADB**



## इस मानक के उद्देश्य हैं:

- परियोजना श्रमिकों के लिए नष्पिपक्ष व्यवहार, भेदभाव रहति और समान अवसर को बढ़ावा देना;
- परियोजना कर्मियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हसिा और उत्पीड़न, बदमाशी, धमकी और शोषण को रोकना और हल करना, जसिमें किसी भी प्रकार का यौन शोषण, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न (एसईएएच) शामिल है;
- संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के सद्घांतों का समर्थन करना;
- बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम के प्रयोग को रोकना;
- पारदर्शी परियोजना कार्यकर्ता प्रबंधन संबंधों को बढ़ावा देना, वकिसति करना और कायम रखना; और
- परियोजना कर्मियों को कार्यस्थल संबंधी सरोकारों को उठाने के लिए सुलभ साधन उपलब्ध कराना।



प्रस्तावति मानक के तहत, कर्जदार/ग्राहक से यह अपेक्षा की जाएगी कि परियोजना में लगे सभी परियोजना कर्मचारी, ठेकेदार, और उपठेकेदार या अन्य तीसरे पक्ष के ठेकेदार इस पर्यावरण और सामाजिक मानक (ईएसएस 2) की अपेक्षाओं और मेज़बान देश के लागू कानूनों के तहत सुसंगत रूप काम करें।

# नई नीतियों के प्रावधान क्या हैं?

1



**बाल श्रम और  
बंधुआ मजदूरी  
का नषिध।**

प्रस्तावित मानक में बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और/या प्राथमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित सभी प्रकार के श्रमिकों के संबंध में पैदा होने वाले गंभीर सुरक्षा मुद्दों के संभावित या वास्तविक जोखिमों की पहचान और आकलन करने के लिए एक विशिष्ट अपेक्षा शामिल है। ऐसा करना अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के दृष्टिकोण के अनुरूप है। जहां परियोजना छानबीन और मूल्यांकन के माध्यम से या प्रासंगिक जोखिम विश्लेषण के माध्यम से महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान की जाती है, एडीबी को प्राथमिक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लगे आपूर्तिकर्ताओं और श्रमिकों सहित आपूर्ति शृंखला के उच्च स्तरों पर वस्तुतः उचित परश्रम की आवश्यकता होगी।

2



**रोजगार संबंध**

यह प्रस्तावित मानक सभी प्रकार के रोजगार संबंधों पर लागू होता है, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुबंधित, सामुदायिक और प्राथमिक आपूर्तिकर्मचारी शामिल हैं। कर्जदार/ग्राहक से अपेक्षा की जाएगी कि परियोजना श्रमिकों का प्रबंधन कैसे किया जाए, श्रमिकों को उनके रोजगार के नयिमों और शर्तों संबंधी स्पष्ट और समझने योग्य जानकारी उपलब्ध हो, इसके लिए एक योजना बनाई जाए और जब वे कामकारों रोजगार पर रखें तब गैर-भेदभाव और समान अवसर के सिद्धांत लागू हों।

3



**नष्पक्ष व्यवहार,  
गैर-भेदभाव और समान  
अवसर को बढ़ावा देना**

इस नए प्रस्तावित मानक के तहत, परियोजना श्रमिकों का रोजगार समान अवसर और नष्पक्ष व्यवहार के सिद्धांत पर आधारित होगा, भर्ती और नियुक्ति, मुआवजे, कार्य परिस्थितियों और रोजगार शर्तों में कोई भेदभाव नहीं होगा। मानक में वंचित या कमजोर परियोजना श्रमिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए उचित उपाय भी लागू किए जाएंगे।

4



#### शिकायत तंत्र की आवश्यकता

मानक में प्रस्ताव किया गया है कि विशेष रूप से श्रम और कामकाजी परस्थितियों को हल करने और गोपनीय शिकायतों और एसईएच सरोकारों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए परियोजना सूत्र के शिकायत तंत्र तक सभी कामगारों की पहुंच होनी चाहिए।

5



#### संघ बनाने और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता

मानक में प्रस्ताव किया गया है कि किरजदार परियोजना श्रमिकों के लिए संघ बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी पर रोक नहीं लगाएगा।

6



#### श्रम प्रबंधन योजना

मानक में प्रस्ताव किया गया है कि परियोजना श्रमिकों के प्रबंधन के लिए एक योजना विकसित की जानी चाहिए। ऐसी योजना में इस बात यह पहचान की जाएगी कि रोजगार संबंधों के आधार पर तथा मेजबान देश की अपेक्षाओं और उत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार विभिन्न प्रकार के परियोजना श्रमिकों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा।

#### ASIAN DEVELOPMENT BANK

6 ADB Avenue, Mandaluyong City  
1550 Metro Manila, Philippines  
www.adb.org



Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO)

© 2023 ADB. The CC license does not apply to non-ADB copyright materials in this publication.

<https://www.adb.org/terms-use#openaccess> <http://www.adb.org/publications/corrigenda> Publication Stock No. ARMXXXXXX-X

Printed on recycled paper